कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2022/8785 लखनऊः दिनांकः 20/09/2022

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 20/09/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2782-SETH VISHAMBHAR NATH INSTITUTE OF PHARMACY

क्र0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सैमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी0 पाठ्यक्रमों हेतु रू0 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।

Director
Seth Vishambhar Nath Institute
of Pharmaceutical Sciences

[illegible] अवहेलन का ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व [illegible] का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त [illegible] परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद [illegible] किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता [illegible] तो समस्त क्षतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

[illegible] संस्था को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने [illegible] पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें [illegible] की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

✓ [illegible] प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।

✓ [illegible] को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, [illegible] लिया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ [illegible] को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक [illegible] सुनिश्चित करनी होगी।

✓ [illegible] यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध [illegible] गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग [illegible] जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो [illegible] संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

[illegible] के औचक स्तरीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा [illegible] ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर [illegible]।

[illegible] शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक [illegible] की जायेगी।

(एफ0आर0 खान)

सचिव

पृ0सं0- प्रा0शि0प/परिषद सम्बद्धता/2022/6786-6924

दिनांक: 20/09/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक,SETH VISHAMBHAR NATH INSTITUTE OF PHARMACY

Director
Seth Vishambhar Nath Institute
of Pharmaceutical Sciences

(एफ0आर0 खान)

सचिव

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]/2021/37 — [illegible] दिनांक [illegible]

[illegible] महोदय,

[illegible] फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा [illegible] के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता [illegible] की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र [illegible] संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य [illegible] सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

[illegible] के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 [illegible] प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

[illegible] SETH VISHAMBHAR NATH INSTITUTE OF PHARMACY KHAJUR GAON, DEVA

		एल०आई०सी०पी०/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
[illegible]	[illegible]	60	60

[illegible]

[illegible] फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
[illegible] शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1962, [illegible] विनियमावली-2016 तथा [illegible] आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० [illegible] प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी [illegible]) हेतु रू० [illegible] प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र [illegible] शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया [illegible] समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें [illegible]
[illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन [illegible]
[illegible]
[illegible] की कार्यवाही की जायेगी।
[illegible] के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
[illegible] से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
[illegible] शासन द्वारा बनायी गयी विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० [illegible] प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये [illegible]

[illegible] पाठ्यक्रम की संस्था यदि पी०सी०आई०, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में [illegible] संस्था का होगा और किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, [illegible] प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उक्त प्रवेश क्षमता को [illegible]

Director
Seth Vishambhar Nath Institute
of Pharmaceutical Sciences

Director
Seth Vishambhar Nath Institute of Pharmacy
[illegible]

[illegible]

[illegible] सत्यापन करवाने के बाद रैगिंग रोकने के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित [illegible]

[illegible] को सदस्यों हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये [illegible] द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद [illegible] किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये [illegible]

[illegible] उपकरण एवं अन्य [illegible] की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

[illegible] दिये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की [illegible]

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

[illegible] 10229-4909

दिनांक: 05/08/2021

प्रति,

[illegible] SETH VISHAMBHAR NATH INSTITUTE OF PHARMACY KHAJUR GAON, DEVA ROAD [illegible]

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

Director
Seth Vishambhar Nath Institute of Pharmacy
Khajur Gaon at Lucknow Dewa Road, Barabanki

Director
Seth Vishambhar Nath Institute
of Pharmaceutical Science